कार्यालय नगर परिषद, सीतामढ़ी

पत्रांक—............ ।

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सीतामढ़ी।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0प0)
बिहार, पटना।

सीतामढ़ी, दिनांक—......................

विषय :— सीतामढ़ी नगर परिषद को अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0—1202/2015—16 का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/अधिभार, बिहार पटना के ज्ञापांक—14546/389, दिनांक—18.03.2016 द्वारा प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0—1202/2015—16 का अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक — यथोपरि।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सीतामढ़ी।

ज्ञापांक—719...., दिनांक—10/11/18..... ।

प्रतिलिपि :— सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक—1982, दिनांक—31.08.2018 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सीतामढ़ी।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 1202/2015–16

भाग – 1

प्रस्तावना

संख्या	नगर परिषद द्वारा अनुपालन	अभ्युक्ति
1 से 11	कोई टिप्पणी नहीं।	
12	**प्रशासन** अंकेक्षण अवधि 2010–11 से 2014–15 तक नगर परिषद सीतामढ़ी में पद स्थापित कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का कार्यकाल निम्न प्रकार है :– **कार्यपालक पदाधिकारी** श्री रामजन्म पासवान – 01.04.2010 से 07.12.2011 श्री पंकज कुमार गुप्ता – 08.12.2011 से 16.12.2011 श्री कृष्ण मुरारी – 17.12.2011 से 31.03.2015 **अध्यक्ष** श्री जलालूद्दीन खॉ – 01.04.2010 से 08.06.2012 श्री सुवंश राय – 09.06.2012 से 31.03.2015 **उपाध्यक्ष** श्रीमती आशा देवी – 01.04.2010 से 08.06.2012 श्री युगल किशोर प्र0 – 09.06.2012 से 11.09.2014 श्री ईरशाद अहमद – 17.10.2014 से 31.03.2015	
13	कोई टिप्पणी नहीं।	
14	**पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि** 1. रोकड़ बही एवं पासबूक में अंतर राशि 1,63,553/– का कारण निम्न है :– नगर परिषद चेक संख्या–038931, दिनांक–24.03.2015 द्वारा मो0–1,63,553/–रूपये का चेक सहायक खनन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को रोयाल्टी की राशि भूगतान हेतु निर्गत किया गया था। यह चेक सहायक खनन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा दिनांक–24.04.2015 को भुनाया गया, जिसके कारण 31.03.2015 को रोकड़ बही की राशि एवं पासबूक की राशि में अंतर पाया गया। पास बुक की छाया प्रति संलग्न है। **(एनेक्चर 01 द्रष्टव्य)** 2. वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक का अभिश्रव अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।	
15	कोई टिप्पणी नहीं।	
16	कोई टिप्पणी नहीं।	

भाग – 2 खण्ड–क–शून्य
खण्ड–ख

कंडिका संख्या	नगर परिषद द्वारा अनुपालन	अभ्युक्ति
कंडिका सं0–01 (क)	राशि 1,57,629/– रूपये को पासबूक में इंद्राज करा लिया गया है। इस राशि में क्रमशः 74,262.35 रूपया एवं अन्य रसीदो की राशि– 57,486.65 मिला कर कुल–1,31,749.00 रूपया दिनांक–28.05.2015 को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में जमा कराया गया एवं शेष राशि 83,366.80 रूपया अर्थात 83,367.00 रूपया दिनांक–09.06.2015 को जमा किया गया। पासबुक की छाया प्रति संलग्न है। **(एनेक्चर –02 एवं 03 द्रष्टव्य)**	
(ख)	राशि 2,418/– रूपये दिनांक–04.06.2015 को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में जमा कराया गया है। पासबुक की छाया प्रति संलग्न है। **(एनेक्चर –02 द्रष्टव्य)**	
(ग)	राशि 1,168/– रूपये एवं अन्य रसीदो की राशि 1,407/–रूपया मिला कर कुल–2,575/–रूपया दिनांक–04.06.2015 को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में जमा कराया गया है। पासबुक की छाया प्रति संलग्न है। **(एनेक्चर –02 द्रष्टव्य)**	
(घ)	राशि 3,418/– रूपये जमा का विवरण उपरोक्त राशि में श्री विजय कुमार द्वारा मो0–1,250/– रूपया एवं 1,268/–रूपया कुल–2,518/– रूपया एवं श्री राहुल रंजन द्वारा 907/–रूपया दिनांक–08.10.2018 को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में जमा कराया गया है। पासबुक की छाया प्रति संलग्न है। **(एनेक्चर –04 द्रष्टव्य)**	
कंडिका सं0–02 (क),(ख) एवं (ग)	**<u>सोलर लाईट का क्रय :</u>** सीतामढ़ी नगर परिषद क्षेत्र में विधुत की आपूर्ति नही के बराबर होने के कारण रात्री में आम नागरिकों एवं सवारियों को आवागमन में हो रही कठिनाई एवं रात्री में चोरी तथा छीन–झपट की समस्या को दूर करने के लिए नगर परिषद बोर्ड की साधारण बैठक दिनांक–20.07.2012 के प्रस्ताव सं0–8 द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु निर्णय लिया गया **(एनेक्चर 05 द्रष्टव्य)**। सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु बिहार वित्त नियमावली 2005 के आलोक में सोलर लाईट का क्रय निविदा के माध्यम से किया गया है। इस संबंध में सुलभ प्रसंग हेतु निदेशक, ब्रेडा पटना के पत्रांक–ब्रेडा/शॉप0 23/2012 से स्वतः स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय/सरकारी कार्यालयों द्वारा सौर उपकरणों की अधिप्राप्ति में BFR 2005 (बिहार वित्त नियमावली 2005) लागू होगी। अर्थात पन्द्रह हजार से एक लाख रू0 तक की खरीद कोटेशन प्राप्त करके एवं उससे अधिक की खरीद निविदा करके ही की जा सकती है **(एनेक्चर 06 द्रष्टव्य)**। सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु निविदा सूचना तैयार कर इस कार्यालय के पत्रांक–906, दिनांक–24.09.2012 द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार पटना को भेजा गया**(एनेक्चर 07 द्रष्टव्य)**। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार पटना द्वारा दिनांक–01.10.2012 को हिन्दुस्तान	

	समाचार पत्र में निविदा सूचना का प्रकाषन किया गया **(एनेक्चर 08 द्रष्टव्य)**। सोलर स्ट्रीट लाईट आपूर्ति हेतु चार फर्म क्रमषः 1. राहुल मैसिनरी स्टोर, भवदेपुर, सीतामढ़ी, 2. बिहार रेडियो हाउस, जवाहर चौक, सीतामढ़ी, 3. महावीर एजेन्सी, डुमरा रोड, सीतामढ़ी, 4. भिक्टर कंसट्रक्सन इंटरप्राईजेज, यारपूर, पटना द्वारा निविदा दिया गया। प्राप्त निविदाओं को दिनांक–01.12.2012 को क्रय समिति के समक्ष खोलकर निर्णय लेने हेतु उपस्थापित किया गया। क्रय समिति की बैठक में क्रमषः 1. अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी, 2. महाप्रबंधक, उद्योग विभाग, सीतामढ़ी, 3. जिला लेखा पदाधिकारी, सीतामढ़ी, 4. सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, सीतामढ़ी, 5 अध्यक्ष, 6. उपाध्यक्ष, नगर परिषद सीतामढ़ी, 7. कार्यपालक अभियंता, विधुत विभाग, सीतामढ़ी, 8. श्री पंकज कुमार, 9. श्री अमरेन्द्र सिंह, 10. मधु मसकरा, सदस्य, सषक्त स्थायी समिति एवं 11. अधोहस्ताक्षरी ने भाग लिया। क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम प्राप्त निविदाओं का तकनीकि बीड खोला गया जिसमें दो निविदादाता क्रमशः 1. बिहार रेडिया हाउस, सीतामढ़ी, एवं 2. भिक्टर कंसट्रक्सन इंटरप्राईजेज, यारपूर, पटना सफल हुए **(एनेक्चर 09 द्रष्टव्य)**। तत्पश्चात क्रय समिति द्वारा वित्तीय बीड खोला गया जिसमें निम्नतम दरदाता बिहार रेडिया हाउस, सीतामढ़ी पाये गये **(एनेक्चर 10 द्रष्टव्य)**। जिनके दरों को क्रय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। क्रय समिति की कार्यवाही की छाया प्रति **(एनेक्चर 11 द्रष्टव्य)**। नगर परिषद सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक–20.04.2013 के प्रस्ताव सं0 4 द्वारा प्रति सोलर स्ट्रीट लाईट का कीमत 30,912/–रू0 की प्रषासनिक स्वीकृति सर्व सम्मति से प्रदान की गई **(एनेक्चर 12 द्रष्टव्य)**। निम्नतम दरदाता बिहार रेडिया हाउस, सीतामढ़ी के साथ सोलर स्ट्रीट लाईट विभिन्न पथों में लगाने हेतु एकरारनामा किया गया **(एनेक्चर 13 द्रष्टव्य)** और उन्हें समय–समय पर सशक्त स्थायी समिति एवं बोर्ड की बैठक में लिए गये निर्णयानुसार नगर परिषद क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु आदेश निर्गत किया गया। उनके द्वारा निर्देशानुसार लगाये गये सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थल जांच नगर परिषद के तहसीलदार/लिपिक से कराने के पश्चात भुगतान की कारवाई की जाती है एवं लगाये गये सोलर स्ट्रीट लाईट की गुणवत्ता की जांच व्यवस्थापक टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, चौथा तल्ला, हरिनिवास कम्पलेक्स, डाक बंगला चौक, पटना से कराने के पश्चात ही भुगतान की गई। **(एनेक्चर 13(क)(ख) द्रष्टव्य)** टाटा पावर सोलर स्ट्रीट लाईट M.N.R.E. द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप है एवं Central Power Research Institute Energy conservation and development division द्वारा प्रमाणित है **(एनेक्चर 14 द्रष्टव्य)**।	
कंडिका सं0–03	**भेपर लाईट का क्रय** सीतामढ़ी नगर परिषद क्षेत्र में रात्रि में आम नागरिकों एवं सवारियों को आवागमन में सुविधा के लिए पर्याप्त प्रकाष की व्यवस्था हेतु नगर परिषद द्वारा भेपर लाईट लगाने का निर्णय लिया गया। भेपर लाईट लगाने के लिए दिनांक–09.07.2013 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र में निविदा सूचना प्रकाशित की गई (एनेक्चर–15 द्रष्टव्य) जिसमें निविदा सफल नही हो सका। संयंत्रों के क्रय के संबंध में सरकार के प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक–862, दिनांक–21.02.2008 द्वारा निर्देशित किया गया है कि "किसी भी तरह के संयत्रों के क्रय के पहले नगर निकाय द्वारा समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित किये जाते है। अनावश्यक विलम्ब को ध्यान में रखते हुए कम्प्यूटर आदि खरीदने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गये क्रय के आधार पर क्रय किया जा सकता है। जहॉ तक ट्रैक्टर एवं अन्य संयंत्र क्रय करने का प्रश्न है इस संबंध में अन्य नगर निकायों द्वारा किए गए क्रय के	

	आधार पर कार्रवाई की जाय ताकि अनावश्यक व्यय एवं विलम्ब न हो **(एनेक्चर 16 द्रष्टव्य)**।" के आलोक में भेपर लाईट लगाने के लिए संवेदक के चयन हेतु सीतामढ़ी के निकटवर्ती जिला मुजफफरपुर नगर निगम द्वारा प्रकाशित निविदा के आधार पर चयनित संवेदक विमला इलेक्ट्रीकलस, बालू घाट, मुजफफरपुर के साथ एकरारनामा कर उन्हें भेपर लाईट लगाने हेतु आदेश दिया गया। उनके द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न पोलों पर 90 भेपर लाईट लगाया गया हैं। लगाये गये भेपर लाईट की जाँच हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 573 दिनांक 01.07. 2014 **(एनेक्चर 17 द्रष्टव्य)** द्वारा उप प्रबंधक, सी0जी0एल0 लाईटिंग, पटना से अनुरोध किया गया। उप प्रबंधक, सी0जी0एल0 लाईटिंग, पटना के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन **(एनेक्चर 18 द्रष्टव्य)** के आधार पर भुगतान के दिशा में कारवाई की जा रही है, तत्काल उन्हें 3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार) रूपये का भुगतान किया गया है। मुजफफरपुर नगर निगम क्रय समिति की बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति **(एनेक्चर 19 द्रष्टव्य)** विमला इलेक्ट्रीकलस, बालू घाट, मुजफफरपुर, के साथ किये गये एकरारनामा की छाया प्रति **(एनेक्चर 20 द्रष्टव्य)**, विमला इलेक्ट्रीकलस बालू घाट, मुजफ्फरपुर को भेपर लाईट लगाने हेतु दिये गये आदेश की छाया प्रति **(एनेक्चर 21 द्रष्टव्य)**।	
कंडिका सं0–04	**रोड डिवाईडर का क्रय** **<u>आरोप सं0 06 डिवाईडर का क्रय :</u>** सीतामढ़ी नगर परिषद क्षेत्र में हो रही जाम की समस्या को दूर करने के लिए नगर परिषद बोर्ड की बैठक दिनांक–20.07.2012 में प्रस्ताव सं0 06 द्वारा विभिन्न प्रमुख स्थानों पर रोड डिवाईडर लगाने का निर्णय लिया गया **(एनेक्चर 05 द्रष्टव्य)**। बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में लोहे का रोड डिवाईडर बनाने हेतु रोड डिवाईडर का नमुना तैयार किया गया। चूकि यह कार्य स्थानीय तौर पर होने वाला था, अस्तु रोड डिवाईड के नमुना के साथ दर आमंत्रण सूचना तैयार कर उसकी प्रति विभिन्न कार्यालयों के सूचना पट्ट पर प्रकाषनार्थ जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी/अनुमंडल पदाधिकरी, सीतामढ़ी सदर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरा एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत डुमरा को भेजा गया **(एनेक्चर 22 द्रष्टव्य)**। रोड डिवाईडर बनाने हेतु तीन फर्म क्रमशः 1.मेसर्स राजा इंजिनियरिंग वर्कस, राजोपट्टी, डुमरा रोड, सीतामढ़ी 2.मेसर्स गंगा स्टील, राजोपट्टी, डुमरा रोड, शिव मंदिर के निकट, सीतामढ़ी, 3.चन्द्रिका इंजिनियरिंग वर्कस, शान्ति नगर, बागमती कालोनी के सामने, डुमरा रोड, सीतामढ़ी द्वारा दर दिया गया। प्राप्त दरो का तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया, जिसमें निम्नतम दर मेसर्स राजा इंजिनियरिंग वर्कस, राजोपट्टी, डुमरा रोड, सीतामढ़ी का पाया गया जो प्रति डिवाईडर 6,850/–रू0 है **(एनेक्चर 23 द्रष्टव्य)**। इस दर की स्वीकृति नगर परिषद सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक–27.09.2013 के प्रस्ताव सं0–04 द्वारा प्रदान की गई **(एनेक्चर 24 द्रष्टव्य)**। तत्पश्चात इन्हें आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। **(एनेक्चर 25 द्रष्टव्य)** पहले नगर परिषद क्षेत्र के प्रधान पथ में तत्काल 15 डिवाईडर लगाने की योजना थी जिसके लिए 15 डिवाईडर का आदेश दिया गया। परन्तु बाद में विचारोपरान्त और जगहों पर भी डिवाईडर लगाने की आवश्यक्ता महसूस की गई। डिवाईडर की संख्या अधिक होने के कारण डिवाईडर आपूर्ति के लिए सन्मार्ग समाचार पत्र में दर आमंत्रण सूचना प्रकाशित कराई गई। **(एनेक्चर 26 द्रष्टव्य)** प्रकाशित दर आमंत्रण सूचना के आधार पर मेसर्स राजा इंजिनियरिंग वर्कस, राजोपट्टी, डुमरा रोड, सीतामढ़ी, मेसर्स जगदम्बा इंजिनियरिंग वर्क्स, बड़ी बाजार डुमरा सीतामढ़ी एवं चन्द्रिका इंजिनियरिंग वर्कस, शान्ति नगर, बागमती कालोनी के सामने, डुमरा रोड, सीतामढ़ी द्वारा अपना –अपना दर दिया गया। इसमें भी सबसे न्यूनतम दर मेसर्स	

	राजा इंजिनियरिंग वर्क्स, राजोपट्टी, डुमरा रोड, सीतामढ़ी, का पाया गया जो प्रति डिवाईडर 6,850/– रु0 है। तुलनात्मक विवरणी **(एनेक्चर 27 द्रष्टव्य)** जिसकी स्वीकृति नगर परिषद सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.11.2013 द्वारा प्रदान की गई।**(एनेक्चर 28 द्रष्टव्य)** इस दर के आधार पर पुनः मेसर्स राजा इंजिनियरिंग वर्क्स, राजोपट्टी, डुमरा रोड, सीतामढ़ी को आपूर्ति आदेश दिया गया।**(एनेक्चर 29 द्रष्टव्य)** और इनसे डिवाईडर बनवाकर अस्थायी रूप से विभिन्न जगहों पर लगवाया गया। चुकि डिवाईडर लगवाने हेतु निर्धारित पथ जानकी स्थान से रेलवे स्टेशन जो एन0एच0 104 की है एवं डुमरा रोड, शंकर मंदिर के निकट से मेहसौल चौक तक एन0एच0 77 की है जिसपर अस्थायी तौड़ पर लगवाया गया। स्थायी तौर पर डिवाईडर लगाने की अनुमति हेतु एन0एच0 104 एवं एन0एच0 77 के कार्यपालक अभियंता से अनुरोध किया गया है जो अबतक अप्राप्त है। इन पथों में अस्थायी तौर पर डिवाईडर लगाने पर विभिन्न वाहनों के द्वारा उसे गिरा दिया जाता था। जिससे डिवाईडर क्षतिग्रस्त हो रहा था। फलस्वरूप उसे वहॉ से हटा कर मालखाना में सुरक्षित रख लिया गया है। एन0एच0 से स्थायी तौर पर डिवाईडर लगाने की अनुमति प्रदान होते ही उसे स्थायी तौर पर लगा दिया जायेगा। इस प्रकार डिवाईडर बनवाने एवं भुगतान करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है।	
कंडिका सं0–05	<u>**हैण्ड ट्रॉली डस्टबीन का क्रय**</u> सीतामढ़ी नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हैण्ड ट्रॉली, डस्टबीन एवं रोड साईड लीटर बीन आदि क्रय हेतु निविदा सूचना तैयार कर इस कार्यालय के पत्रांक–888, दिनांक–26.08.2013 द्वारा निदेषक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, पटना को भेजा गया **(एनेक्चर 30 द्रष्टव्य)**। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना द्वारा निविदा का प्रकाषन दिनांक–01.09.2013 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र में कराया गया **(एनेक्चर 31 द्रष्टव्य)**। उपरोक्त समानों की आपूर्ति के लिए चार फर्म क्रमषः 1. प्रभदयाल ओमप्रकाष, दूसरा तल्ला, सिरकी बलान हौज काजी, दिल्ली, 2. नील कमल लि0 फस्ट फ्लोर, ए/183, पी0सी0 कॉलोनी, कंकड़ बाग, पटना, 3. सिन्हा इंटर प्राईजेज, दीपक मार्केट, पहला तल्ला, किषोरी मोहन कम्पलेक्स, गया, 4. संगम इंजिनियरिंग वर्क्स, इन्डस्ट्रीयल स्टेट, वेला, मुजफ्फरपुर द्वारा निविदा दिया गया। प्राप्त निविदाओं को दिनांक–06.01.2014 को क्रय समिति के समक्ष खोलकर निर्णय लेने हेतु उपस्थापित किया गया। क्रय समिति की बैठक में क्रमषः 1. महाप्रबंधक, उद्योग विभाग, सीतामढ़ी, 2. सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, सीतामढ़ी, 3. कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सीतामढ़ी, 4. श्री पंकज कुमार, 5. श्री अमरेन्द्र सिंह, 6. मधु मसकरा, सदस्य, सषक्त स्थायी समिति, नगर परिषद, सीतामढ़ी, 7. अध्यक्ष, 8. उपाध्यक्ष, नगर परिषद सीतामढ़ी एवं 9. अधोहस्ताक्षरी ने भाग लिया। क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम प्राप्त निविदाओं का तकनीकि बीड खोला गया जिसमें सभी निविदादाता सफल हुए**(एनेक्चर 32 द्रष्टव्य)**। तत्पष्चात क्रय समिति द्वारा वित्तीय बीड खोला गया जिसमें निम्नतम दरदाता प्रभदयाल ओमप्रकाश, दूसरा तल्ला, सिरकी बलान हौज काजी, दिल्ली पाये गये **(एनेक्चर 33**	

द्रष्टव्य)। जिनके दरों को क्रय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। क्रय समिति की कार्यवाही की छाया प्रति **(एनेक्चर 34 द्रष्टव्य)**।

प्राप्त निविदाओं में दरो का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

निविदादाता का नाम	**Hand Trolley** (250 Lit. Capacity made of Polyethylene fixed over M.S. Angle / Flat fitted with cushioned rubber tyres over metal rims)	**Road Side Litter Bin** (90 Lit. Capacity made of polyethylene fixed over M.S. Jacket frame with locking arrangement and open able lid.)	**Dustbin** (1100 Lit. Capacity made of Polyethylene properly reinforced with M.S. Angle / Flat fitted with swivel type wheel)
प्रभदयाल ओमप्रकाष, दूसरा तल्ला, सिरकी बलान हौज काजी, दिल्ली	250 Lit. Rs 9,200/-	90 Lit. Rs.-5,500/-	1100 Lit. Rs 29,500/-
नील कमल लि0 फस्ट फ्लोर, ए/183, पी0सी0 कॉलोनी, कंकर बाग, पटना,	255 Lit. Rs 10,950/-	100 Lit. Rs.-9,790/- 200 Lit. Rs.-13,750/-	1100 Lit. Rs 38,490/-
सिन्हा इंटर प्राईजेज, दीपक मार्केट, पहला तल्ला, किषोरी मोहन कम्पलेक्स, गया	250 Lit. Rs 19,000/-	100 Lit. (दो बकेट) Rs.-19,000/-	1100 Lit. Rs 59,000/-
संगम इंजिनियरिंग वर्कस, इन्डस्ट्रीयल स्टेट, वेला, मुजफ्फरपुर	165 Lit. Rs. 14,030/- 140 Lit. Rs. 12,882/-	-	-

निम्नतम दरदाता प्रभदयाल ओमप्रकाष के साथ सामानों की आपूर्ति हेतु एकरारनामा किया गया **(एनेक्चर 35 द्रष्टव्य)** और उन्हें आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया **(एनेक्चर 36 द्रष्टव्य)**। उनके द्वारा आदेशानुसार आपूर्ति किये गये सामानों की गुणवत्ता की जांच हेतु हैण्ड ट्राली, डस्टबीन, रोड साईड लीटर बीन की एक–एक अदद इस कार्यालय के पत्रांक–368, दिनांक–10.04.2014 द्वारा मुख्य प्रबंधक परियोजना CIPET हाजीपुर को भेजा गया **(एनेक्चर 37 द्रष्टव्य)**।

मुख्य प्रबंधक परियोजना CIPET हाजीपुर के द्वारा आपूर्ति लिए गये सामानों की गुणवत्ता प्रतिवेदन समर्पित किया गया **(एनेक्चर 38 द्रष्टव्य)**।

गुणवत्ता प्रतिवेदन संतोषप्रद पाये जाने के उपरान्त विपत्र से गारंटी/वारंटी अवधि तक के लिए 5 प्रतिशत राशि जमानत के रूप में एवं कर की कटौती कर कुल 60,93,391/–(साठ लाख तेरानवे हजार तीन सौ एकानवे) रूपया भुगतान किया गया। जिसकी स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक–23.01.2014 के प्रस्ताव सं0–01 द्वारा प्रदान की गई **(एनेक्चर 39 द्रष्टव्य)**। जिसकी सम्पुष्टि बोर्ड की बैठक दिनांक–07.06. 2014 द्वारा प्रदान की गई। **(एनेक्चर 40 द्रष्टव्य)**

इस प्रकार सफाई उपकरणों के क्रय एवं भुगतान विधिवत की गई है। इसमें में किसी प्रकार की अनियमितता नही बरती गई है।

कंडिका सं0–06

तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी एवं तत्कालीन सभापति महोदय को आपत्ति के आलोक में मन्तव्य देने हेतु पत्र दिया गया है। मन्तव्य प्राप्त होते ही आपत्ति के निराकरण हेतु प्रस्तु

	किया जायगा। **(एनेक्चर 41 एवं 42 द्रष्टव्य)**	
कंडिका सं0–07	**गुदरी बाजार मुद्रांक शुल्क की राशि** नगर विकास एवं आवास विभाग को छोड़ कर अन्य किसी भी वरीय अधिकारियों द्वारा दिये गये विभागीय निर्देशों की प्रति नगर परिषद कार्यालय को नही दी जाती है। जिसके कारण ससमय उक्त निर्देशो का अनुपालन नही हो पाता है। मुख्य सचिव महोदय के पत्रांक–1920 नि0मु0स0, दिनांक–14.08.2002 एवं सचिव–सह–निबंधन महा निदेशक, बिहार के पत्रांक–549, दिनांक–15.03.2005 इस कार्यालय को प्राप्त नही हुआ है, जिसके कारण उपरोक्त पत्रों में दिये गये निदेशो का अनुपालन सीतामढ़ी नगर परिषद द्वारा ससमय नही हो सका। बाद में जानकारी मिलने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2015–16 से 3 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क की राशि बंदोवस्त लेने वाले संवेदनक से वसूल की जा रहा है।	
कंडिका सं0–08	**निजी बस पड़ाव एवं गुदरी बाजार की बन्दोवस्ती** क. श्री बसंत कुमार, संवेदक, बसपड़ाव से मो0–8,05,500/– रूपया वसूली हेतु उनके विरूध सर्टिफिकेट किया जा चुका है। ख. श्री शंकर प्रसाद, संवेदन, गुदरी बाजार के यहॉ बकाया राशि 4,37,276/–रूपया में 4,39,000/– रूपया विभिन्न रसीदो द्वारा जमा कराया जा चुका है। जिसका विवरण संलग्न है। **(एनेक्चर 43 द्रष्टव्य)**	
कंडिका सं0–09	**गुदरी बाजार बंदोवस्ती में अनावश्यक विलम्ब** वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए नगर परिषद गुदरी बाजार का डाक कराने हेतु डाक बंदोवस्ती सूचना तैयार कर इस कार्यालय के ज्ञापांक–236, दिनांक–20.02.2014 **(एनेक्चर 44 द्रष्टव्य)** द्वारा सूचना एवं जन संपर्क विभाग बिहार पटना को भेजा गया, जिसमें डाक की प्रथम तिथि 06.03.2014 निर्धारित की गई थी। इस तिथि को डाक नहीं होने पर अगली तिथि–08.03.2014 एवं इस तिथि को भी डाक नहीं होने पर अगली तिथि–11.03.2014 निर्धारित की गई निदेशक, सूचना एंव जन संपर्क विभाग, बिहार पटना द्वारा किसी कारणवश डाक बंदोवस्ती सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में नहीं कराया जा सका। इसके पश्चात आचार संहिता लग जाने के कारण डाक बंदोवस्ती हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को इस कार्यालय के पत्रांक–269, दिनांक–04.03.2014 **(एनेक्चर 45 द्रष्टव्य)** द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी प्रति उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना को दिया गया। आचार संहिता के अवधि में डाक कराने हेतु निर्देश प्राप्त नही होने के कारण डाक बंदोवस्ती की कारवाई नहीं की जा सकी। फलस्वरूप विभागीय वसूली कराई गई। आचार संहिता की समाप्ति के पश्चात डाक बंदोवस्ती सूचना तैयार कर इस कार्यालय के ज्ञापांक–435, दिनांक–27.05.2013 **(एनेक्चर 46 द्रष्टव्य)** द्वारा सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार पटना भेजा गया। सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा दिनांक–04.06. 2014 **(एनेक्चर 47 द्रष्टव्य)** को हिन्दुस्तान समाचार पत्र में निविदा सूचना का प्रकाषन कराया गया जिसमें डाक की तिथि 06.06.2014 निर्धारित की गई इस तिथि को डाक नहीं होने पर अगली तिथि–09.06.2014 एवं इस तिथि को भी डाक नहीं होने पर अगली तिथि–11.06.2014 निर्धारित की गई। अपरिहार्य कारणवष दिनांक–06.06.2014 को डाक नही कराया जा सका। डाक की अगली तिथि 09.06.2014 को डाक होना था इसी बीच वार्ड	

	पार्षद क्रमषः श्रीमती रानी देवी, श्री विजय कुमार मिश्र, श्री धनंजय कुमार, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्री उपेन्द्र कुमार, श्रीमती विनिता देवी, मो0 इरसाद, श्री अरूण कुमार राय, श्रीमती रामदुलारी देवी एवं श्रीमती ओरम खातुन आदि वार्ड पार्षदों के अनुरोध पर नगर परिषद बोर्ड की साधारण बैठक दिनांक–07.06.2014 में पारित प्रस्ताव संख्या 4(1) के आलोक में गुदरी बाजार के डाक स्थागित की गई **(एनेक्चर 40 द्रष्टव्य)**)। डाक बन्दोवस्ती के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए इस कार्यालय के पत्रांक–512, दिनांक–12.06.2014 **(एनेक्चर 48 द्रष्टव्य)** द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय से मार्ग दर्षन की मांग की गई, जिसकी प्रति सरकार के उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को भी दी गई। समाहर्त्ता महोदय, सीतामढ़ी के पत्रांक–1249/रा0, दिनांक–26.09.2014 **(एनेक्चर 49 द्रष्टव्य)** द्वारा नगर पालिका नियमावली के तहत डाक बंदोवस्ती की कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया। जिसके आलोक में डाक की कार्रवाई हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय से परामर्श ली गई, उनके परामर्शानुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक–17.11.2014 से 31.03. 2015 के लिए सुरक्षित जमा 3,87,500.00 रू0 के आधार पर नगर परिषद गुदरी बाजार का डाक कराने हेतु डाक बंदोवस्ती सूचना तैयार कर इस कार्यालय के ज्ञापांक–1009, दिनांक–20.10.2014 **(एनेक्चर 50 द्रष्टव्य)** द्वारा निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार पटना को भेजा गया। निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार पटना द्वारा दिनांक 02.11.2014 को प्रभात खबर समाचार पत्र में डाक बंदोवस्ती सूचना का प्रकाषन किया गया **(एनेक्चर 51 द्रष्टव्य)** जिसमें डाक की तिथि 11.11.2014 निर्धारित की गई थी। इस तिथि को डाक नही होने पर अगली तिथि 13.11.2014 एवं किसी कारणवष इस तिथि को भी डाक नही होने पर अगली तिथि 15.11.2014 निर्धारित की गई थी। डाक की प्रथम तिथि 11.11.14 को ही गुदरी बाजार का डाक संपन्न हो गया, जिसमे अधिकतम बोली श्री संजीव कुमार के द्वारा 6,75,000.00रू0 बोला गया और इनके साथ गुदरी बाजार का डाक बंदोवस्ती की गई। दिनांक–01.04.2014 तक 16.11.2014 तक गुदरी बाजार की विभागीय वसूली से कुल 4,04,866/– रू0 प्राप्त हुए **(एनेक्चर 52 द्रष्टव्य)** एवं दिनांक–17.11.2014 से 31.03.2015 तक के लिए डाक बंदोवस्ती से 6,75,000/– रू0 प्राप्त हुआ। इस प्रकार विभागीय वसूली एवं डाक बंदोवस्ती से वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल राशि 10,79,866/– रू0 प्राप्त हुए जो वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित सुरक्षित जमा की राशि 10,47,650/– रू0 से अधिक है। इस प्रकार गुदरी बाजार की वार्षिक बंदोवस्ती या विभागीय वसूली में किसी प्रकार की अनियमितता नही बरती गई है।	
कंडिका सं0–10	**बकाय होल्डिग टैक्स** होल्डिंग टैक्स की वसूली में प्रगति लायी गई है। विगत तीन वर्षो का वसूली का प्रतिवेदन संलग्न है **(एनेक्चर 53 द्रष्टव्य)** ।	

भाग – 3 (TAN)

कंडिका संख्या	नगर परिषद द्वारा अनुपालन	
कंडिका सं0–01	**कर्मचारियों की सेवा–पुस्तिका की त्रुटियाँ** सेवा पुस्तिका में कर्मचारियों का फोटो चिपका दिया गया है। कर्मचारियों के अवकास अवधि को भी सेवा पुस्तिका में दर्ज करने हेतु तथा सेवा पुस्तिका अद्यतन करने हेतु स्थापना सहायक को निर्देश दिया गया है।	
कंडिका सं0–02	**शिकायत पत्र पर की गई कार्रवाई** कोई टिप्पनी नहीं।	
कंडिका सं0–03	सीतामढ़ी नगर परिषद में वर्ष 1971 में सरकार द्वारा 96 सफाईकर्मियों के पद की स्वीकृति प्रदान की गई थी, उस समय नगर परिषद क्षेत्र की आबादी लगभग 22 हजार थी, जो वर्ष 2001–02 से 2005–06 तक बढ़कर लगभग 50 हजार हो गई थी, इस प्रकार नगर परिषद क्षेत्र के सड़कों नालियों आदि की संख्या में हुए वृद्धि एवं सेवा निवृत कर्मचारियों के स्थान पर कर्मचारी की नियुक्ति नहीं होने के फलस्वरूप जनहित में आम नागरिकों की स्वास्थ्य हित में सफाई हेतु दैनिक मजदुरी पर सफाई कर्मी रख कर सफाई कार्य कराया गया है एवं नगर परिषद के कार्यालय के कार्य हेतु मानदेय पर प्रधान सहायक–सह–लेखापाल, कम्प्युटर चालक, सहायक, अमीन एवं चालक को मानदेय पर रख कर कार्यालय के कार्यो को कराया गया है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग से अनुरोध किया गया है।	

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सीतामढ़ी।